

संख्या: ए-12024/8/2023-एएआईबी

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो

(एएआईबी)

\*\*\*\*\*

बी एवं डी ब्लॉक, तीसरा तल  
उड़ान भवन, नागर विमानन मंत्रालय  
अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली-110003  
दिनांक: 04<sup>th</sup> अप्रैल 2025

विषय: एएआईबी में तकनीकी परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु अल्पकालिक संविदा आधारित भर्ती।

वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा रिक्ति परिपत्र संख्या ए-12024/8/2023-एएआईबी, दिनांक 04 अप्रैल 2025 (प्रति संलग्न) के माध्यम से एएआईबी में पूर्णतः अल्पकालिक संविदा आधार पर तकनीकी परामर्शदाताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1.	सलाहकार - सुरक्षा अन्वेषण	02
2.	सलाहकार - दुर्घटना रोकथाम	1
3.	सलाहकार - तकनीकी (फ्लाइट रिकॉर्डर प्रयोगशाला)	02

2. इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन एएआईबी के रसीद एवं डाक अनुभाग में या ई-मेल द्वारा (dg.aair-moca@gov.in) अंतिम तिथि 05 मई 2025 तक भेज सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त या अधूरे अथवा निर्धारित प्रारूप से भिन्न आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।



(के. रमेश बाबू)  
निदेशक, एएआईबी

संलग्नक: उपरोक्त के अनुसार।

**भारत सरकार**  
**नागर विमानन मंत्रालय**  
**वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो**

तीसरी मंजिल, 'बी' ब्लॉक,  
उड़ान भवन,  
नागर विमानन मंत्रालय,  
जोर बाग मेट्रो के पास,  
अरविंदो मार्ग,  
नई दिल्ली – 110003

दिनांक: 04 अप्रैल 2025

**रिक्ति परिपत्र**

**विषय: वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो में तकनीकी परामर्शदाताओं की संविदा आधार पर नियुक्ति हेतु**

- वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो में तकनीकी परामर्शदाताओं के रूप में संविदा आधार पर नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित पदधारी के कार्यभार ग्रहण करने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की जाएगी। संविदा आधार पर नियुक्ति के बाद, संबंधित व्यक्ति के कार्य प्रदर्शन, कौशल, कार्य संबंधी ज्ञान, स्वास्थ्य आदि का समय-समय पर वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। यदि किसी भी समय निर्धारित कौशल, दायित्वों एवं शर्तों को पूरा करने में असफलता पाई जाती है, तो वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो को बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध/सेवा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- नियुक्त व्यक्ति के कार्य प्रदर्शन की निरंतर समीक्षा की जाएगी तथा बाद में विस्तार, यदि कोई हो, का निर्णय आवश्यकता एवं समीक्षा के परिणाम के आधार पर लिया जाएगा। संविदा की कुल अवधि, जिसमें विस्तार की अवधि भी सम्मिलित होगी (यदि कोई हो), परामर्शदाता के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। हालांकि, संविदा अवधि पूरी होने पर यह स्वतः विस्तार, स्थायीकरण, वरिष्ठता, नियमित नियुक्ति अथवा अन्य किसी लाभ का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगा।
- पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो के रसीद एवं डाक अनुभाग में या ईमेल ([dg.aaib-moca@gov.in](mailto:dg.aaib-moca@gov.in)) के माध्यम से **05 मई, 2025 तक भेजना होगा**। समापन तिथि के बाद प्राप्त या अन्यथा अधूरे पाए गए या निर्धारित प्रपत्र में नहीं पाए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। केवल वे उम्मीदवार जो वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे तथा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से निर्धारित समय-सीमा के भीतर वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो में कार्यग्रहण करना होगा। यदि चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय-सीमा में कार्यग्रहण नहीं करते हैं, तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जाएगी तथा इस संबंध में कोई और संचार नहीं किया जाएगा।
- कार्यस्थल नई दिल्ली होगा। परामर्शदाता को वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा सौंपे गए कार्यों अथवा अन्वेषण से संबंधित कार्यों हेतु भारत के किसी भी स्थान पर यात्रा करनी पड़ सकती है। आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता सरकार के सुरक्षा अन्वेषण अधिकारी/स्तर-10 के अधिकारी के लिए निर्धारित प्रावधानों अथवा वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के वर्तमान निर्देशों के अनुसार देय होगा।
- यदि कोई उम्मीदवार किसी भी रूप में अनुचित प्रभाव डालने का प्रयास करता है, तो उसकी उम्मीदवारी स्वतः अयोग्य मानी जाएगी।
- पात्रता मानदंड अनुलग्नक-क में संलग्न हैं।
- नियम एवं शर्तें अनुलग्नक-ख में संलग्न हैं।
- आवेदन प्रपत्र अनुलग्नक-ग में संलग्न है।

पात्रता मानदंड

क्रम सं	पद	कुल पदों की संख्या	अधिकतम आयु सीमा	वेतनमान (प्रति माह)	पात्रता मानदंड (योग्यता/अनुभव)
1.	परामर्शदाता – सुरक्षा अन्वेषण	2	01 मार्च 2025 तक 62 वर्ष	₹1,50,000/-  (सेवानिवृत्त सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कर्मचारियों के वेतनमान हेतु, कृपया अनुलग्नक ख के पैरा 5 को देखें।)	<p>(क) आवश्यक योग्यता</p> <p>(i) शैक्षणिक/अनिवार्य योग्यता:-</p> <p>(i) एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीई/ बी.टेक (BE/B.Tech) एवं 5 वर्ष का अनुभव विमानन संचालन/खरखाव/फ्लाइट सुरक्षा (सैन्य या नागरिक) अथवा विमान डिजाइन संगठन या डीजीसीए अनुमोदित एमआरओ में या (ii) CAR66 AME लाइसेंस धारक, जिसने नागर विमानन महानिदेशालय CAR145 संगठन अथवा अनुसूचित एयरलाइन में कम से कम 5 वर्षों तक अपने लाइसेंस के विशेषाधिकारों का उपयोग किया हो। या (iii) CPL/CHPL धारक, जिसके पास 2000 घंटे का उड़ान अनुभव एवं 5 वर्षों का फ्लाइट सुरक्षा अनुभव हो। या (iv) इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक या विज्ञान में स्नातक, जिसके पास एटीसीओ (ATCO) लाइसेंस हो और जिसने अपने लाइसेंस के अधिकारों का कम से कम 05 वर्षों तक उपयोग किया हो, तथा जिसे फ्लाइट सेफ्टी / एयरप्रॉक्स घटनाओं की जांच का अनुभव हो, जैसे कि एयरप्रॉक्स अन्वेषण बोर्ड या डीजीसीए/एआईबी द्वारा नियुक्त जांच टीमों के सदस्य के रूप में या (v) बी.एससी. धारक, जिसके पास सैन्य क्षेत्र में एटीसी (ATC) का 10 वर्षों का अनुभव हो। एयरोस्पेस सुरक्षा क्षेत्र में अनुभव तथा अन्वेषण का अनुभव रखने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।</p> <p>(ii) कंप्यूटर साक्षरता एमएस ऑफिस (MS Office) एवं अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग रिपोर्ट तैयार करने, प्रस्तुतियां बनाने एवं दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु।</p> <p>(ख) वांछनीय योग्यता</p> <p>(i) प्रसिद्ध एयरलाइन के फ्लाइट सुरक्षा विभाग में कार्य करने का अनुभव।</p> <p>(ii) नागर विमानन मंत्रालय/एआईबी/डीजीसीए या भारतीय वायुसेना/थलसेना/ नौसेना / बीएसएफ / कोस्ट गार्ड द्वारा विमान दुर्घटना/घटना अन्वेषण करने का अनुभव।</p> <p>(iii) फ्लाइट डेटा विश्लेषण में अनुभव एवं निम्नलिखित का कार्यसाधक ज्ञान: - डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (DFDR) - एआरआईएनसी (ARINC) मानकों का ज्ञान - कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) - साउंड स्पेक्ट्रम विश्लेषण</p>

कार्य प्रोफाइल एवं कर्तव्य:-

1. एआईबी अन्वेषणकर्ताओं को विमान दुर्घटनाओं, गंभीर घटनाओं एवं घटनाओं की अन्वेषण में सहायता करना।
2. गो-टीम ( Go- Team ) का हिस्सा बनकर घटनास्थल पर प्राथमिक/स्थल अन्वेषण एवं साक्ष्य एकत्र करना।
3. एआईबी अन्वेषणकर्ताओं की सहायता करना:-

- (i) घटनाओं के वर्गीकरण हेतु घटनाओं की सूचनाओं की समीक्षा।
- (ii) प्रारंभिक अधिसूचना, एडीआरईपी (ADREP) रिपोर्ट तैयार करना एवं आईसीएओ (ICAO) तथा संबद्ध देशों को प्रस्तुत करना।
- 4. सीवीआर (CVR) एवं एटीसी (ATC) रिकॉर्डिंग से ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना एवं डीएफडीआर (DFDR) डेटा का विश्लेषण।
- 5. अन्वेषण हेतु लॉजिस्टिक व्यवस्था की सुविधा प्रदान करना।
- 6. एएआईबी निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

क्रम सं.	पद	कुल पदों की संख्या	अधिकतम आयु सीमा	वेतनमान (प्रति माह)	पात्रता मानदंड (योग्यता/अनुभव)
2.	परामर्शदाता – दुर्घटना रोकथाम	1	01 मार्च 2025 तक 62 वर्ष	₹ 1,50,000/- (सेवानिवृत्त सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कर्मचारियों के वेतनमान हेतु, कृपया संलग्नक B के पैरा 5 को देखें।)	<p>(क) आवश्यक योग्यता</p> <p>(i) शैक्षणिक/अनिवार्य योग्यता:-</p> <p>(i) बीई / बी.टेक (BE/B.Tech) एवं 10 वर्षों का अनुभव विमानन संचालन/खरखाव/फ्लाइट सुरक्षा (सैन्य या नागरिक) अथवा किसी प्रतिष्ठित अनुसूचित एयरलाइन में</p> <p>या</p> <p>(ii) CAR66 AME लाइसेंस धारक, जिसके पास डीजीसीए या अनुसूचित एयरलाइन के फ्लाइट सुरक्षा विभाग में 10 वर्षों का अनुभव हो।</p> <p>या</p> <p>(iii) CPL/CHPL धारक, जिसके पास 2000 घंटे का उड़ान अनुभव एवं 10 वर्षों का फ्लाइट सुरक्षा अनुभव हो। किसी भी विमानन केंद्रित संगठन में किसी भी शाखा/ट्रेड के विमान इंजीनियर/तकनीशियन जिसे फ्लाइट सेफ्टी या एविएशन क्वालिटी एश्योरेंस में 10 वर्षों का अनुभव हो।</p> <p>(ii) कंप्यूटर साक्षरता</p> <p>एमएस ऑफिस (MS Office) एवं अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग रिपोर्ट तैयार करने, प्रस्तुतियां बनाने एवं दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु।</p> <p>(ख) वांछनीय योग्यता:</p> <p>(i) नागर विमानन मंत्रालय/एएआईबी/डीजीसीए या भारतीय वायुसेना/थलसेना/ नौसेना / बीएसएफ / कोस्ट गार्ड द्वारा विमान दुर्घटना/घटना अन्वेषण में शामिल होने का अनुभव।</p> <p>(ii) अन्वेषण टीम को फडीआर (FDR) एवं सीवीआर (CVR) डाउनलोड में सहायता करने की क्षमता।</p> <p>(iii) डीबीएमएस (DBMS) एवं सांख्यिकी विश्लेषण में अच्छा ज्ञान।</p>

- कार्य प्रोफाइल एवं कर्तव्य: -
1. दुर्घटनाओं एवं गंभीर घटनाओं का अन्वेषण संबंधी डेटा का रखरखाव।
  2. एएआईबी द्वारा अन्वेषण रिपोर्टों एवं सुरक्षा अध्ययनों में जारी सुरक्षा अनुशंसाओं का रिकॉर्ड रखना।
  3. सुरक्षा अध्ययन करने एवं सुरक्षा बढ़ाने हेतु सुरक्षा अनुशंसाओं को तैयार करने में एएआईबी अधिकारियों की सहायता।

<p>4. सुरक्षा अनुशंसाओं का राज्य प्राधिकरणों से अनुपालन कराना।</p> <p>5. घटना/गंभीर घटना अन्वेषण से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव एवं संचालना</p> <p>6. आरटीआई (RTI), संसद एवं कानूनी मामलों में एएआईबी अधिकारियों की सहायता।</p> <p>7. एएआईबी निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।</p>					
क्रम सं.	पद	कुल पदों की संख्या	अधिकतम आयु सीमा	वेतनमान (प्रति माह)	पात्रता मानदंड (योग्यता/अनुभव)
3.	परामर्शदाता – तकनीकी (फ्लाइट रिकॉर्ड्स प्रयोगशाला)	2	01 मार्च 2025 तक 62 वर्ष	₹ 1,50,000/- (सेवानिवृत्त सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कर्मचारियों के वेतनमान हेतु, कृपया संलग्नक B के पैरा 5 को देखें।)	<p>(क) आवश्यक योग्यता</p> <p>(i) शैक्षणिक/अनिवार्य योग्यता:-</p> <p>(i) बीई/बी.बी.बी. Tech (कंप्यूटर साइंस/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार/इंस्ट्रूमेंटेशन) या ME (एवियोनिक्स) एवं 5 वर्षों का अनुभव विमानन क्षेत्र (नागरिक या सैन्य) या किसी प्रतिष्ठित अनुसूचित एयरलाइन, विमान डिजाइन संगठन अथवा एमआरओ (MRO) में, जिसमें फडीआर (FDR)/सीवीआर(CVR) लैब से संबंधित अनुभव हो।</p> <p>या</p> <p>(ii) इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल/इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा एवं किसी भी फडीआर (FDR) सेटअप (अनुसूचित एयरलाइन, सार्वजनिक उपक्रम या किसी निजी संस्था, जो फडीआर (FDR) ओवरहॉल/मरम्मत/डाउनलोड गतिविधियों में संलग्न हो) में कार्य करने का अनुभव।</p> <p>या</p> <p>(iii) इंजीनियरिंग डिग्री धारक/डिप्लोमा धारक/सैन्य विमान तकनीशियन, जिसके पास 5 वर्षों का फ्लाइट डेटा विश्लेषण अनुभव हो एवं एफडीआर (FDR) और सीवीआर (CVR) से संबंधित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कार्यसाधक ज्ञान हो:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (DFDR)</li> <li>- एआरआईएनसी (ARINC) मानकों का ज्ञान</li> <li>- कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR)</li> <li>- साउंड स्पेक्ट्रम विश्लेषण</li> </ul> <p>(ii) कंप्यूटर साक्षरता: एमएस ऑफिस (MS Office) एवं अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग रिपोर्ट तैयार करने, प्रस्तुतियां बनाने एवं दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु।</p> <p>(ख) वांछनीय योग्यता:</p> <p>(i) नागर विमानन मंत्रालय/एएआईबी/डीजीसीए या भारतीय वायुसेना/थलसेना/ नौसेना / बीएसएफ /कोस्ट गार्ड द्वारा विमान दुर्घटना/घटना अन्वेषण में शामिल होने का अनुभव।</p> <p>(ii) अन्वेषण टीम को एफडीआर (FDR) और सीवीआर (CVR) डाउनलोड में सहायता करने की क्षमता।</p>
<p>कार्य प्रोफाइल एवं कर्तव्य: -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>एएआईबी में फ्लाइट रिकॉर्ड्स लैब की स्थापना एवं रखरखाव में सहायता।</li> <li>डीएफडीआर (DFDR) डेटा डाउनलोड एवं विश्लेषण करना।</li> <li>सीवीआर (CVR) डेटा डाउनलोड करना एवं ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने में सहायता करना।</li> <li>गो-टीम (Go-Team) का हिस्सा बनकर घटनास्थल पर प्राथमिक/स्थल अन्वेषण एवं साक्ष्य एकत्र करना, रिकॉर्ड्स को पुनः प्राप्त करना।</li> <li>बाहरी एजेंसियों में घटक परीक्षण (Component Examination) हेतु लॉजिस्टिक व्यवस्था करना।</li> <li>एएआईबी निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।</li> </ol>					

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो

उड़ान भवन, नई दिल्ली - 110003

दिनांक: 04 अप्रैल 2024

\*\*\*\*\*

## वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो में पूर्णतः संविदात्मक आधार पर परामर्शदाताओं की नियुक्ति की नियम एवं शर्तें

### 1. कार्यकाल

1.1 कार्यकाल एक वर्ष का होगा, जो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से शुरू होगा या जब तक नियमित कर्मचारी कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते, या जब तक भविष्य में कोई आदेश जारी नहीं होते, जो भी पहले हो। यह नियुक्ति समय-समय पर निष्पादन मूल्यांकन पर निर्भर करेगी।

1.2 संविदा पर नियुक्ति के बाद, एएआईबी समय-समय पर कर्मचारी के प्रदर्शन, कौशल, ज्ञान और स्वास्थ्य का मूल्यांकन करेगा। यदि कार्य निष्पादन या अन्य शर्तों को पूरा करने में असमर्थ पाया जाता है, तो एएआईबी बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

1.3 एक वर्ष के बाद पदधारी के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता के अनुसार, समीक्षा के परिणामों के आधार पर अनुबंध की निरंतरता/विस्तार पर निर्णय लिया जाएगा। अनुबंध को मूल एक वर्ष की अवधि के बाद अधिकतम दो वर्षों के लिए ही बढ़ाया जा सकता है या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक या जब तक नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) द्वारा नियमित पदधारी की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी पहले हो। अनुबंध की कुल अवधि, विस्तार सहित, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। हालांकि, अनुबंध की निर्धारित अवधि पूरी होने से आगे किसी भी प्रकार के विस्तार, स्थायी नियुक्ति, वरिष्ठता, स्थायित्व या किसी अन्य लाभ का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होगा।

1.4 उपरोक्त खंड 1.2 के प्रावधानों के बावजूद, अनुबंध को दोनों पक्षों द्वारा एक महीने का नोटिस देकर या उसके बदले में भुगतान करके समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, एएआईबी सार्वजनिक हित में या काम की अत्यावश्यकताओं के लिए अनुबंध की समाप्ति की सूचना को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

### 2. कर्तव्य की प्रकृति

2.1 कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ अनुलग्नक 'क' में दिए गए "कार्य प्रोफ़ाइल और कर्तव्य" के अनुसार होंगे।

2.2 इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक हित और कार्य की आवश्यकता के अनुसार अन्य कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ भी एएआईबी द्वारा सौंपी जा सकती हैं।

### 3. कार्यस्थल

3.1 नियुक्ति का स्थान वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) का मुख्यालय, नई दिल्ली होगा।

3.2 परामर्शदाता को भारत में कहीं भी दौरे पर भेजा जा सकता है यदि अन्वेषण या दिए गए कार्य की आवश्यकता हो।

3.3 आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता सरकार के सुरक्षा अन्वेषण अधिकारी के समकक्ष अधिकारी के लिए निर्धारित प्रावधानों अथवा वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के वर्तमान निर्देशों के अनुसार देय होगा।

### 4. कार्य के घंटे

4.1 कार्य के घंटे भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों या एएआईबी द्वारा निर्धारित समय के अनुसार होंगे।

4.2 परामर्शदाता को अतिरिक्त कार्य घंटों में या सप्ताहांत में या छुट्टियों में काम करने की आवश्यकता हो सकती है, यदि सार्वजनिक हित में काम की परिस्थितियों या अत्यावश्यकताओं के अनुसार आवश्यक हो। सप्ताहांत और छुट्टियों सहित कार्य के विस्तारित घंटों के लिए, वे इसके लिए किसी भी ओवरटाइम भत्ते या मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।

### 5. वेतन / मानदेय

5.1 संविदा अवधि के दौरान परामर्शदाता को रिक्त परिपत्र में निर्धारित मासिक वेतन मिलेगा। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का निर्धारण समय समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों (DoE OM 3-25/2020-E.IIIA दिनांक 09 दिसंबर 2020) के अनुसार होगा। इसी तरह, सेवानिवृत्त पीएस्स्यू कर्मियों के लिए पारिश्रमिक का निर्धारण केंद्र सरकार में समान/समकक्ष पद के संदर्भ में उनके वेतनमान को युक्तिसंगत बनाकर किया जाएगा।

5.3 पारिश्रमिक का भुगतान प्रत्यक्ष बैंक अंतरण/खाता आदाता चेक या किसी अन्य माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर तय किया जा सकता है।

5.4 परामर्शदाता को देय पारिश्रमिक से सरकार द्वारा स्रोत पर लगाए गए करों की कटौती की जाएगी।

- 5.5 अनुबंध के पूरा होने या समाप्त होने की स्थिति में, उन्हें आधिकारिक काम के लिए किसी भी बकाया या उनको दिए गए किसी भी वस्तु या उपकरण को वापस करने की आवश्यकता होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में महानिदेशक, एएआईबी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और परामर्शदाता के पास इस संबंध में कोई दावा नहीं होगा।
- 6. भत्ते और सुविधाएँ**
- 6.1 परामर्शदाता किसी भी भत्ते और सुविधाओं का हकदार नहीं होगा जो नियमित रूप से सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य हैं जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, मनोरंजन भत्ता, परिवहन भत्ता, यात्रा सुविधा, आवासीय आवास, व्यक्तिगत कर्मचारी, सीजीएचएस, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि पेंशन आदि। परामर्शदाता के पास इस संबंध में कोई दावा नहीं होगा।
- 7. कटौतियाँ**
- 7.1 एएआईबी गैर-वैधानिक कटौतियों जैसे बीमा प्रीमियम आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बीमा अद्यतन बनाए रखना स्वयं परामर्शदाता की जिम्मेदारी होगी।
- 8. छुट्टी और अन्य भत्ते**
- 8.1 अवकाश पात्रता वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25/2020 - ई.IIIA दिनांक 9 दिसंबर 2020 के अनुसार शासित होगी। परामर्शदाता यथानुपात आधार पर गणना की गई 18 दिनों से अधिक की अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। एक वर्ष के दौरान किसी भी गैर-प्राप्त छुट्टी को अगले कैलेंडर वर्ष में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा या कार्यकाल के अंत में नकदीकरण के लिए योग्य नहीं होगा। यदि परामर्शदाता स्वीकृत अवकाश से अधिक 15 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो एएआईबी उसकी सेवाएं समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 8.2 यदि परामर्शदाता बीमारी के कारण 3 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उसे चिकित्सा प्रमाणपत्र एवं फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 8.3 स्टेशन छोड़ने से पहले, यहां तक कि अवकाश के दिनों में भी, स्टेशन छोड़ने की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- 9. आचरण एवं अनुशासन**
- 9.1 परामर्शदाता को हर समय कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण बनाए रखना होगा और ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जो किसी भी तरह से एएआईबी या भारत सरकार के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। परामर्शदाता आचरण के सभ्य मानक, अच्छे चरित्र, उचित अनुशासन और अत्यंत लिंग संवेदनशीलता बनाए रखेगा, ऐसा न करने पर मौजूदा दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
- 9.2 एआईबी की अनुबंध सेवा पर होने के नाते, अधिकारी ट्रेड यूनियन में किसी भी रूप या तरीके से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा, जो सौंपे गए किसी भी समय-समय पर जारी सरकारी अधिनियमों, नियमों या विनियमों या आदेशों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। वह उल्लंघन के मामले में उपयुक्त कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
- 9.3 परामर्शदाता एएआईबी में कार्यरत रहते हुए किसी अन्य रोजगार में संलग्न नहीं हो सकता।
- 10. हितों का टकराव**
- 10.1 व्यक्ति (उसके परिवार के किसी भी सदस्य सहित) जो अनुबंध के आधार पर एएआईबी में परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन करना चाहता है, उसके पास (उसके परिवार के किसी भी सदस्य सहित), पिछले तीन (03) वर्षों की अवधि के लिए, किसी भी प्रकार ऐसा हित संघर्ष नहीं होगा जो एएआईबी के प्रबंधन / संचालन में उसकी भागीदारी से उत्पन्न हो सकता है जिससे एएआईबी में निर्णय लेना प्रभावित हो। {परामर्शदाता के संबंध में परिवार के सदस्यों में पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, माता-पिता, भाई या बहनें या कोई अन्य व्यक्ति।
- 11. गोपनीयता खंड**
- 11.1 सभी जानकारी, दस्तावेज, ड्राइंग आदि चाहे भौतिक रूप में हों या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, एएआईबी के स्वामित्व में होंगे और वह किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों या फर्मों आदि के साथ बिना पूर्व अनुमति/अनुमोदन इसको साझा नहीं करेंगे, जब तक कि अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा करने की आवश्यकता न हो।
- 12. सामान्य**
- 12.1 उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि एएआईबी में नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज, सूचनाएँ और प्रमाण-पत्र पूर्णतः प्रामाणिक हों। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत होंगे कि यदि प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज, सूचना या प्रमाण-पत्र असत्य या किसी भी प्रकार से संशोधित/छेड़छाड़ किया हुआ पाया जाता है, तो एएआईबी को अनुबंध/सेवाओं को एकपक्षीय रूप से तत्काल समाप्त करने का अधिकार होगा।
- 13. अनुबंध की शर्तों में संशोधन**
- 13.1 एएआईबी सार्वजनिक हित में, भारत सरकार की नीति के अनुसार, बिना किसी पूर्व सूचना के इस प्रस्ताव की शर्तों एवं नियमों में संशोधन या परिवर्तन कर सकता है।
- 13.2 संशोधित शर्तें एवं नियम भी अनुबंध का अभिन्न हिस्सा माने जाएंगे।

14. एएआईबी के साथ अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों के बावजूद, यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है जो सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हो, अथवा यदि उसे किसी अपराध में संलिप्तता के कारण पुलिस या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो उसकी अनुबंध नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाएगी, चाहे अनुबंध की शर्तों में इसके विपरीत कोई भी प्रावधान क्यों न हो।
- .....



**वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी), नागर विमानन मंत्रालय, तृतीय तल, 'बी' ब्लॉक, उड़ान भवन,  
जोरो बाग मेट्रो स्टेशन के निकट, औरोबिंदो मार्ग, नई दिल्ली-110003  
में पूर्णतः संविदा आधार पर परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र**

- परामर्शदाता – सुरक्षा अन्वेषण
- परामर्शदाता – दुर्घटना रोकथाम
- परामर्शदाता – तकनीकी (फ्लाइट रिकॉर्डर प्रयोगशाला)  
(आवेदित पद (टिक करें))  
यदि उम्मीदवार दो या अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहा है, तो कृपया संबंधित बॉक्स में टिक करें

पासपोर्ट आकार का  
फोटो लगाए |

क्रम सं.	विवरण	जानकारी
1.	नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	पता	
4.	ईमेल पता	
5.	टेलीफोन नंबर	
6.	जन्म तिथि एवं विज्ञापन तिथि के अनुसार आयु	
7.	राष्ट्रीयता	
8.	आधार संख्या	
9.	पैन कार्ड संख्या	
10.	शैक्षिक एवं प्रोफेशनल योग्यता (आवश्यक एवं पद के अनुसार योग्यता) (संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)	
11.	a. क्या वर्तमान में कार्यरत हैं? यदि हां, तो वर्तमान/पूर्व नियुक्ता का विवरण दें (कार्यकाल और पता सहित): (a) केंद्र सरकार (b) राज्य सरकार (c) केंद्र शासित प्रदेश (d) स्वायत्त संगठन (e) अन्य Other	
12.	अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
13.	कोई अतिरिक्त जानकारी जो आप अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहते हैं	
14.	क्या कभी किसी अपराध में दोषी ठहराए गए हैं? यदि हां, तो विवरण दें	
15.	क्या कोई आपराधिक मामला लंबित है या जांचाधीन है? यदि हां, तो विवरण दें	

**घोषणा: -**

मैं, \_\_\_\_\_, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है तथा कोई भी तथ्य छुपाया या गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि भविष्य में किसी भी स्तर पर यह प्रमाणित होता है कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई है या गलत दी गई है, तो मेरी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त की जा सकती है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

- \*यदि किसी कालम में स्थान अपर्याप्त हो, तो अलग शीट संलग्न करें।
- \* नियुक्ति का स्थान नई दिल्ली होगा एवं भारतभर में यात्रा करनी होगी।
- \* मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

तिथि:

स्थान:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर